सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट एवं पंजीकृत कार्यालयः यूनिट संख्या 282, सातवीं तल, वेगास मॉल, प्लॉट संख्या 6, सेक्टर 14, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

"परिशिष्ट-IV-A" [नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जिसका कब्जा सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, की निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) एवं कॉर्पोरेट जमानती(यों) से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली हेतु "जैसा है जहाँ है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार 05.09.2025 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि क्रमशः नीचे वर्णित है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती(यों) का नाम एवं पता तथा ऋण खाता	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ज.ध.रा. मूल्य	वृद्धि मूल्य	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
1.	प्रेम चंद पुत्र अमर सिंह, चंद्रावती पत्नी अमर सिंह, अर्जुन कुमार पुत्र प्रेम चंद साथ ही: [illegible], आगरा, उत्तर प्रदेश – 282010 साथ ही: 47/29/30, [illegible], आगरा, उत्तर प्रदेश – 282002 साथ ही: [illegible], आगरा, उत्तर प्रदेश – 282010 LOANAAGR0000679	मकान संख्या 90 एवं 91, पुरनपुरी कॉलोनी, मौजा गढ़ी भदौरिया, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 282001 पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग। सीमाएं: पूर्वः संपत्ति संख्या 92, [illegible]	रु. 40,00,000/- ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 04.09.2025 Till 12:00 बजे अप. तक। मांग सूचना के अनुसार वसूली राशि: रु. 29,99,391.20 तिथि 27.01.2024 तक	रु. 4,00,000/-	रु. 50,000/-	02.09.2025 से 03.09.2025 10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक	05.09.2025 10:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
2.	भवानी राम पुत्र काली चरण / दिनेश उत्तम स्टोर / राजे देवी पत्नी भवानी राम / सुख लाल पुत्र काली चरण साथ ही: 5/187/ए, [illegible], शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश – 282010 LQANAAGR0000282	प्लॉट संख्या 5/187/ए, क्षेत्रफल 240 वर्ग गज, खसरा संख्या 369, ग्राम नई आबादी, शाहगंज, आगरा (उत्तर प्रदेश) 282010 पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग।	रु. 90,00,000/- ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समयः 04.09.2025 को 12:00 बजे अप. तक। मांग सूचना के अनुसार वसूली राशि: रु. 20,25,385.40 तिथि 27.01.2024 तक	रु. 9,00,000/-	रु. 50,000/-	02.09.2025 से 03.09.2025 10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. तक	05.09.2025 10:00 बजे पूर्वा. से 12:00 बजे अप. तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

ईएमडी राशि "सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। **बैंक खाता संख्या:** 184305000395, **बैंक का नाम:** आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएससी कोड: **ICIC0001809**, शाखा: शहीद रोड। ईएमडी जमा करने तथा बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि: https://xpertarc.com/ पर 04.09.2025 को 12:00 बजे अप. तक। ईएमडी राशि घटाकर अंतिम क्रय मूल्य का शेष 25% , सफल बोलीदाता द्वारा अगले कार्यदिवस तक आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ई-नीलामी खाते में जमा किया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अंतिम क्रय का शेष 75% नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त ई-नीलामी खाते में जमा किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को अग्रिम राशि की वापसी 5 कार्यदिवसों के भीतर बोली प्रपत्र में उनके द्वारा उल्लिखित खाता संख्या में की जाएगी।

नियम व शर्तें ई-नीलामी "जैसा है जहाँ है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार "ऑनलाइन" आयोजित की जा रही है। नीलामी सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स नवोदयन प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड (pertARC™) के माध्यम से वेब पोर्टल https://xpertarc.com/ पर आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम व शर्तें https://xpertarc.com/ पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व एवं संपत्ति/यों को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोलीदाता ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स नवोदयन प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड (XpertARC™) से हेल्पलाइन नंबरः +91 7710100505, ई-मेल eauctions@xpertarc.com, संपर्क व्यक्तिः सुश्री प्रगति सिंह, +91 98189 97856 एवं ई-मेल eauctions@xpertarc.com पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अंग्रेजी एवं हिंदी में प्रकाशित नीलामी सूचना के बीच किसी भी विसंगति/असंगति के विषय में अंग्रेजी में प्रकाशित सूचना की सामग्री मान्य होगी। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे। बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 25.07.2025, स्थानः आगरा
सेव फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

कार्यालय – सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ सम्भाग, मेरठ।

पत्रांकः 3429/हैं0परि0/धा0ख0पत्रा0–निविदा पत्रा0/2025–26 दिनांकः 25 जुलाई 2025

अल्पकालिक ई–टेण्डर नोटिस

शासनादेश संख्या–358/29–4–2025/1831/2020 दिनाँक 10.06.2025 द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय व्यवस्था सम्बन्धी निर्गत समय सारणी के अनुपालन में अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2216/मु०वि०अ०/धा०ख०–नीति प्रस्ताव/2025–26 दिनाँक 10.06.2025, आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक–4539/आ0वि0शा0/हैण्डपरि0/परि0दर/2017–18 दिनाँक 13.09.2019 आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–3092/मु0वि0अ0/धा0ख0–नीति प्रस्ताव/2022–23 दिनांक 18.08.2022 अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–3773/आ०वि०शा०/हैण्ड०परि०/परि०दर/359/2022 दिनांक 25.07.2023 तथा शासन के पत्र संख्या–831/29–4–2023–385/19 दिनांक 25.07.2023 के साथ संलग्न राज्य स्तरीय कमेटी की दिनांक 10.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में परिवहन कार्य हेतु किये गये कतिपय संशोधन के आलोक में खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मेरठ सम्भाग के **जनपद बुलन्दशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में समस्त क्रय संस्थाओं के धान/गेहूँ क्रय केन्द्रों** (खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत प्रस्तावित धान क्रय केन्द्रों के आधार पर धान क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध चावल मिलों तक धान परिवहन एवं विगत वर्ष 2025–26 में समस्त क्रय संस्था के अनुमोदित गेहूँ क्रय केन्द्रों को आधार मानते हुए रबी विपणन वर्ष 2026–27 में प्रस्तावित गेहूँ क्रय केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक गेहूँ परिवहन/की संलग्न सूची (धान/गेहूँ क्रय केन्द्रों की संख्या घट–बढ़ सकती हैं) के अनुसार धान/गेहूँ के परिवहन कार्य एवं खाद्य विभाग के धान क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग कार्य के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने हेतु अनुभवी इच्छुक व्यक्ति/प्रोपराइटर/फर्म/कम्पनी आदि से पृथक–पृथक क्लस्टर/एकल क्रय केन्द्रवार (सूची संलग्न) ई–टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** पर दिनाँक **12.08.2025 के अपरान्ह 12:00 बजे** तक ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी तकनीकी बिड उसी दिन **दिनाँक 12.08.2025** को **अपरान्ह 01:00 बजे** ई–निविदा समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेंगी। उक्त कार्य हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र मूल्य, धरोहर धनराशि, निविदा की शर्तें, निविदा खुलने की तिथि एवं अन्य सम्बन्धित जानकारी ई–टेण्डर वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है तथा अधोहस्ताक्षरी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारियों के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक क्लस्टर/क्रय स्थल हेतु **निविदा प्रपत्र शुल्क रु० 500+90 (G.S.T.) कुल रू0 590.00 (रुपये पाँच सौ नब्बे मात्र)** एवं **धरोहर धनराशि रुपया 15,000.00 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र)** आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी/ऑन लाइन निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक खाते में जमा किया जायेगाः–

A/C Name	:	SAMBHAGIYA VARISHTH LEKHA ADHIKARI, MEERUT
A/C No.	:	0278104000138512
IFSC Code	:	IBKL0000278
Bank Name & Address	:	IDBI BANK, RTO Road, Meerut

परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा में MSME प्रमाण पत्र से मात्र धरोहर धनराशि (EMD) में छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु निविदा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

निविदादाता द्वारा प्रत्येक क्लस्टर/एकल क्रय केन्द्र के लिए पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे। नगद तथा चैक के माध्यम से प्रस्तुत धनराशि स्वीकार नहीं होगी तथा बिना निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि के किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक निविदा के साथ पृथक–पृथक निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि जमा करने की पठनीय रसीद/साक्ष्य की प्रति निविदादाता द्वारा अपलोड की जायेगीं। निविदा सम्बन्धी प्रपत्रों को पी०डी०एफ० फार्मेट में स्कैन कर प्रत्येक प्रपत्र को स्वहस्ताक्षरित कर अपलोड करना होगा। अपठनीय, कटिंग एवं ओवरराइटिंग युक्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। स्टेट लेवल कमेटी (एस0एल0सी0) द्वारा निर्धारित एस०ओ०आर० से 10 (दस) प्रतिशत से अधिक कम दर अव्यवहारिक होने के कारण स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि कोई निविदा तकनीकी बिड के परीक्षण में अर्ह नहीं पायी जाती है तो उसकी वित्तीय बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की किसी भी शर्त को परिवर्तित करने तथा निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मेरठ के पास सुरक्षित होगा।

निविदा की किसी भी शर्त में परिवर्तन तथा शुद्धि पत्र आदि की सूचना केवल ई–टेण्डर वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अतः समस्त इच्छुक निविदादाता उक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। क्लस्टर/एकल क्रय केन्द्रों की सूची संलग्न है तथा क्रय केन्द्रों की संख्या घट–बढ़ सकती है तथा स्थान में परिवर्तन हो सकता है।

नोट–

01– वर्तमान में खाद्य विभाग (विपणन शाखा/अन्य क्रय संस्था के धान क्रय केन्द्रों का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, किन्त शासन द्वारा निर्गत समय सारिणी के समयबद्ध अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी से अनुमोदन की प्रत्याशा में खाद्य विभाग (विपणन शाखा) के प्रस्तावित धान क्रय केन्द्र तथा अन्य क्रय एजेन्सी के खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में अनुमोदित धान क्रय केन्द्रों के आधार पर खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के अन्तर्गत क्रय धान के परिवहन कार्य के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है। धान क्रय केन्द्रों की संख्या घट–बढ़ सकती है। यदि कोई धान क्रय केन्द्र जिलाधिकारी के स्तर से अनुमोदित नहीं किया जाता है अथवा स्थापित नहीं हो पाता है, तो उसके सापेक्ष निविदाएं/नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे, जोकि समस्त निविदादाता के लिए मान्य व बाध्यकारी होगा।

2– आगामी रबी विपणन वर्ष 2026–27 हेतु प्रस्तावित गेहूँ क्रय केन्द्र रबी विपणन वर्ष 2025–26 में अनुमोदित क्रय केन्द्रों पर आधारित है। भविष्य में यदि कोई गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित नहीं होता है तो उसके सापेक्ष प्राप्त निविदाएं/आवंटित ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3– खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 हेतु प्रस्तावित क्रय केन्द्र (समस्त क्रय संस्था) यदि आगामी रबी विपणन वर्ष 2026–27 में जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाते है तो ऐसे धान क्रय केन्द्रों (वर्ष 2025–26) पर नियुक्त परिवहन ठेकेदारों का गेहूँ क्रय केन्द्रों (वर्ष 2026–27) पर क्रय गेहूँ के परिवहन का कार्य करना होगा।

(संजीव कुमार)
सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी
मेरठ सम्भाग, मेरठ।

फार्म सं. INC-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार)
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र हेतु विज्ञापन प्रकाशित
केंद्र सरकार– उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

और

विनर गेम्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, ऑर्किड सेंटर, सेक्टर 53, गोल्फ कोर्स रोड, गाँव हैडनपर विरान, डीएलएफ क्यूई, गुडगांव, हरियाणा – 122002 के मामले में, **याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 04 जुलाई 2025 को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा राज्य" से "तमिलनाडु राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या जमा करवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दें:

तीसरी मंजिल, ऑर्किड सेंटर, सेक्टर 53, गोल्फ कोर्स रोड, गाँव हैडनपर विरान, डीएलएफ क्यूई, गुडगांव, हरियाणा – 122002

कृते और आवेदक की ओर से
विनर गेम्स एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षरकर्ता/–
नीलमेगाम थमरैकनन
निदेशक
डीआईएनः 08744602
दिनांकः 26.07.2025
स्थानः गुड़गांव

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number: L65922MH1989PLC052257.
Registered Office: Bombay Life Building, 2NDFloor, 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai – 400 001.
Corporate Office: 131 MakerTower, 'F' Premises, 13th floor, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.
Phone: +91 22 2217 8600 / 8700 **Fax:** +91 22 2217 8777
Website: www.lichousing.com | **Email:** lichousing@lichousing.com

NOTICE

100 Days Campaign - "Saksham Niveshak" – for KYC and other related updations and shareholder engagement to prevent Transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to IEPF

Notice is hereby given to the shareholders of LIC Housing Finance Limited that pursuant to Ministry of Corporate affairs (MCA) circular dated 16th July, 2025 your Company has started a 100 Days campaign "Saksham Niveshak" starting from 28th July, 2025 to 6th November, 2025. During this Campaign all the shareholders who have not claimed their Dividend for any Financial Years from 2018-19 to 2023-24 or have not updated their KYC or any issues related to unclaimed dividends and shares may write to the Companies Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. T: 8108116767 E-mail – rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com Web: www.in.mpms.mufg.com

The shareholders may further note that this campaign has been started specifically to reach out to the shareholders to update their KYC, bank mandates, Nominee and contact information. The shareholders may also claim their Dividend for the aforementioned Financial Years in order to prevent their shares from being transferred to the Investor Education and Protection fund Authority (IEPFA).

FOR LIC HOUSING FINANCE LIMITED
Sd/-
Date : 25th July, 2025 Varsha Hardasani
Place : Mumbai COMPANY SECRETARY

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD

LIC HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number: L65922MH1989PLC052257.
Registered Office: Bombay Life Building, 2nd Floor, 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai – 400 001.
Corporate Office: 131 MakerTower, 'F' Premises, 13th floor, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.
Phone: +91 22 2217 8600 / 8700 | **Fax:** +91 22 2217 8777
Website: www.lichousing.com **Email:** lichousing@lichousing.com

NOTICE

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given to shareholders of LIC Housing Finance Limited that, in accordance with the SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, the Company has opened a **special window for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026** for the transfer requests of physical shares which were rejected and returned to lodger on or before March 31, 2019, can be re-lodged after rectifying the errors, with our Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. MUFG Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083. | T: 8108116767 E-mail – rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com Web: www.in.mpms.mufg.com

Transferred Shares will only be issued in demat mode once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have a demat account and provide its Client Master List along with transfer documents and share certificate, while lodging the documents for transfer with RTA.

The requests received after January 06, 2026, will not be accepted by the Company/RTA.

FOR LIC HOUSING FINANCE LIMITED
Sd/-
Date : 25th July, 2025 Varsha Hardasani
Place : Mumbai. COMPANY SECRETARY

कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड

(पूर्व में आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN: L28998DL1983PLC017150
पंजी. कार्या.: प्लाजा–3, पी–204, दूसरा तल, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली–110006
कॉर्पोरेट कार्यालयः 3रा तल, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद–201010, गाजियाबाद, यूपी
दूरभाषः 011–43523562, वेबसाइटः www.kalyancapitals.com,
ईमेलः info@kalyancapitals.com

भौतिक शेयरधारकों के लिए सूचना – केवल भौतिक शेयरों के अंतरण विलेखों को पुनः जमा करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, सेबी ने भौतिक शेयरधारकों द्वारा अंतरण विलेखों, जो 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे, को पुनः जमा करने के लिए 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोलने का निर्णय लिया है। 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा के बाद जमा किए गए और कंपनी द्वारा अस्वीकृत किए गए किसी भी अंतरण विलेख पर कंपनी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, उक्त सेबी परिपत्र का पालन करते हुए, कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड के पात्र भौतिक शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे शेयरों के अंतरण के लिए शेयर अंतरण विलेखों को 06 जनवरी, 2026 को या उससे पहले पुनः जमा करें और अंतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयरों को सेबी द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में संसाधित किया जाएगा। पात्र शेयरधारक अपने अंतरण अनुरोधों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) को स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–1, नई दिल्ली, दिल्ली, 110020 में या admin@skylinerta.com पर मेल कर सकते हैं।

कल्याण कैपिटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
स्थानः गाजियाबाद **संजीव सिंह**
दिनांकः 25.07.2025 **निदेशक**

सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि नेक्सटन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड [CIN: U93000DL2013PTC260741], जिसका पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में 120/5, प्रथम तल, जाकिर नगर, साउथ दिल्ली, दिल्ली 110025 पर स्थित है, ने अपने स्मृति-पत्र (Memorandum of Association) के खंड II में आवश्यक संशोधन करते हुए पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य (लखनऊ) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित नया पता हैः 6/669, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226022

इस परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति के हित प्रभावित हो सकते हैं, तो वह अपना आपत्ति-पत्र इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर क्षेत्र), मंत्रालय कॉर्पोरेट कार्य, भारत सरकार, को प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक
Nexton Services Private Limited
दिनांकः 25.07.2025
स्थानः दिल्ली

sarvagram
aspire. grow. prosper.

सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड
बीवर शाखा– सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय सं. 04, द्वितीय तल, आनंद टॉवर, अजमेर रोड, बीआरकेजीबी बैंक के ऊपर, बीवर 305901

ऑनलाइन स्वर्ण नीलामी सूचना

जबकि सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने विक्रय सूचना(यें) निर्गत की हैं, जिनमें उधारकर्ता से उसके द्वारा प्राप्त किये गये स्वर्ण ऋण के अंतर्गत निर्धारित बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने का आह्वान किया गया है। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहा है, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता **"जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" तथा "बिना किसी संसाधन"** आधार पर स्वर्णाभूषणों की ऑनलाइन नीलामी नियमपूर्वक आयोजित करेंगे। नीलामी **https://egold.auctiontiger.net** के माध्यम से 01–08–2025 को दोपहर 12:00 से अप. 03:00 बजे तक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	उधारकर्ता लैन	कुल भार तथा निवल भार
1.	JLBSE00011048	4.74 / 3.80

अधिक जानकारी के लिए कृपया 7568068990 तथा 6352632523 पर संपर्क करें। विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये **https://egold.auctiontiger.net** पर जाएँ।

हस्ता./– प्रबंधक
सर्वग्राम फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष दिल्ली क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)
और
के मामले में
बॉयड प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : ए–28 सेक्टर इकोटेक–वीआई, ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201308, इंडिया में स्थित है
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "उत्तर प्रदेश राज्य" से "तमिलनाडु राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 02.06.2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

कृते आवेदक की ओर से
बॉयड प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
तिथि : 26.07.2025 अतुल कुमार प्रभुदास
स्थान : नोएडा निदेशक

फॉर्म सं. यूआरसी.2

अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, दिल्ली में रजिस्ट्रार को एक आवेदन किया गया है कि स्टोरइट सर्विसेज एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाये।
2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैंः सभी प्रकार के नेल्स, फास्टनरों, स्क्रू, रिवेट्स, नट बोल्ट और सभी प्रकार और विवरण के तार खींचने के व्यवसाय का निर्माण, गढ़ना, जॉब वर्क, व्यापार, आयात, निर्यात और अन्यथा व्यवसाय करना।
3. प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति डीपीटी 443, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020 में स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर 4था फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 पर कंपनी रजिस्ट्रार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय डीपीटी 443, डीएलएफ प्राइम टॉवर ओखला फेज 1, नई दिल्ली–110020 पर भेजनी होगी।

आवेदकों का नाम
स्टोरइट सर्विसेज एलएलपी के लिए
1.मनबीर डागर
2.अरुण गोस्वामी
3.अजय गिरी

दिनांकः 21 जुलाई, 2025

फॉर्म नं. आईएनसी–26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप - नियम (5) के उपबंध (क) के तहत

और

एएसओ टेक्नोलॉजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–211, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 में स्थित है, के मामले में।

...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए24 जुलाई 2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल पर्यावरण भवन, 2 रा तल, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

एएसओ टेक्नोलॉजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
की ओर से और उसके लिये
हस्ता/–
पदम प्रकाश गुप्ता
दिनांकः 24.07.2025 **निदेशक**
स्थानः दिल्ली **(डीआईएन 07558713)**

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HeroHousing Finance

संपर्क पताः– ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा – 201301
पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
फोनः 011 49267000, **टोल फ्री नंबरः** 1800 212 8800,
ईमेलः customer.care@herohfl.com **वेबसाइटः** www.herohousingfinance.com,
सीआईएनः U65192DL2016PLC30148

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (भ्भ्थ्स्) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह–उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्याः	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFKRNLAP2 3000041466	कुलदीप मलिक, राखी मलिक	10–जुलाई–2025 तक रु. 22,19,191/–	21–जुलाई–2025 / 05–जुलाई–2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः गांव सींक, तहसील इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा– 132107 में स्थित 2 कनाल 1 मरला भूमि का 1/4 हिस्सा में से 10 मरला 2 सरसई भूमि पर निर्मित मकान, जमाबंदी 2019–20 के तहत, खेवट संख्या 349, खतौनी संख्या 397, खसरा संख्या 689(श्री कुलदीप मलिक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख दिनांक 18.10.2021, दस्तावेज संख्या 1859, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 39 पृष्ठ संख्या 24, पुस्तक संख्या 1 में अतिरिक्त प्रति, खंड संख्या 261, पृष्ठ संख्या 5–6, दिनांक 18.10.2021 को एसआरओ इसराना में पंजीकृत के अनुसार संपत्ति के मालिक हैं।)उत्तरः गली, दक्षिणः नवीन पुत्र श्री सुखजिंदर सिंह, पूर्वः श्री रामकिशन पुत्र श्री मंगा का घर,पश्चिमः गली

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज,आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा। उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 26.07.2025 **हस्ता / –अधिकृत अधिकारी,**
स्थान : पानीपत, **कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

eternal

इटरनल लिमिटेड

(पहले ज़ोमैटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन : L93030DL2010PLC198141
पंजीकृत कार्यालय : भू तल 12 ए, 94 मेघदूत, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019, भारत
वेबसाइट : www.eternal.com; ई–मेल : companysecretary@eternal.com
फोन नंबर : 011–40592373

इटरनल लिमिटेड (पूर्व में ज़ोमैटा लिमिटेड के नाम से विख्यात) ("कंपनी") की 15वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") की सूचना और ई–वोटिंग सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इटरनल लिमिटेड (जिसे पहले जोमैटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("**कंपनी**") के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 को दोपहर 12:00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("**वीसी**") या अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("**ओएवीएम**") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना ("**सूचना**") में उल्लिखित व्यवसाय (व्यवसायों) का संचालन किया जा सके। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो एजीएम का स्थल माना जाएगा।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 और कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित, और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर 2024 और इस सम्बन्ध में जारी कोई भी अन्य परिपत्रों जो की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") द्वारा जारी किये गए है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (उसमे किये गए संशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन जो की वर्तमान के लिए मान्य है), के अनुपालन में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट ("**वार्षिक रिपोर्ट**") केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी गई है, जिनके नाम सोमवार, 21 जुलाई, 2025 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और जिनके ई–मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया है । नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी कंपनी की वेबसाइट www.eternal.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और ई–वोटिंग एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, वेब–लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र, सटीक पथ सहित, जहां नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध है, उन शेयरधारकों को भी भेजा गया है।
2. एजीएम में ई–वोटिंग या रिमोट इ–वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 ("**कट–ऑफ डेट**") होगी । कंपनी के शेयरधारकों, जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं, नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान ई–वोटिंग या रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के हकदार होंगे । एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक नहीं है, उसे इस संचार को केवल सूचना उद्देश्यों के लिए मानना चाहिए । शेयरधारकों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित कंपनी की समता अंश पूंजी के अनुपात में होंगे।
3. कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में ई–वोटिंग के लिए नोटिस में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। इसके अलावा, सदस्य वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग हेल्पडेस्क evoting@nsdl.com पर संपर्क कर सकते हैं या 022 – 48867000 पर कॉल कर सकते हैं।
4. सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः
   (a) नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता हैः
   (b) रिमोट ई–वोटिंग अवधि इस प्रकार हैः

रिमोट ई–वोटिंग की शुरूआत	शुक्रवार, 15 अगस्त 2025, सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)
रिमोट ई–वोटिंग का निष्कर्ष	सोमवार, 18 अगस्त 2025, शाम 5:00 बजे (आईएसटी)

   (ग) सोमवार, 18 अगस्त, 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
   (घ) जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
   (ई) एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे नोटिस में निर्धारित तरीके से एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
   (च) एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में अपने वोट को संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं होगी।
5. कंपनी के वे सदस्य जिनके पास भौतिक/डिमेट रूप में इक्विटी शेयर हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सहायता अनुभाग के तहत rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर आरटीए को एक ई–मेल भेज सकता है या टेलीफोन नंबरः 022–49186000 पर कॉल कर सकता है ।

जो सदस्य कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को स्थायी रूप से अपडेट या पंजीकृत करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैंः

डिमटेरियलाइज्ड शेयर	संबंधित डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ईमेल पते को पंजीकृत / अपडेट करें ।
भौतिक शेयर	शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म संख्या ISR 1 और ISR 2 को भरकर और उनके द्वारा हस्ताक्षरित करके, अपने पैन कार्ड और पते के प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या शेयर सर्टिफिकेट के सामने और पीछे के हिस्से की पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप (1 एमबी तक) की स्व–सत्यापित प्रति के साथ लिंक https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html पर जमा करके आरटीए के साथ ई–मेल पता पंजीकृत करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक सहायता अनुभाग के तहत rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर लिख सकते हैं या टेलीफोन नंबरः 022–49186000 पर कॉल कर सकते हैं।

6. ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया, जिसमें भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे किस प्रकार रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं, इसकी जानकारी नोटिस में दी गई है।
7. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध देख सकते हैं या पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 301, तीसरा तल, नमन चेम्बर्स, जी ब्लॉक, प्लॉट नंबर– सी –32, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई– 400051 को निर्दिष्ट ई–मेल पते पर अनुरोध भेज सकते हैं: evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर: 022 – 48867000 पर कॉल कर सकते हैं। ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए इस पते से संपर्क किया जा सकता है: [illegible] companysecretary@eternal.com पर ईमेल लिख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश, एजीएम में ई–वोटिंग या रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका।

निदेशक मंडल की ओर से
इटरनल लिमिटेड के लिए
(पहले ज़ोमैटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
हस्ता/–
तिथि: 25 जुलाई, 2025 संध्या सेठिया
स्थान: गुरुग्राम कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी